उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3
संख्या– /X–3–19–09(10)2004
देहरादूनः दिनांक–16 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–802 सा0क0नि0 1203(अ), दिनांक 26 सितम्बर 2017 आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्ध) नियम, 2017 की धारा 6 के अनुसार, राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण की गतिविधियों को संचालित करने के लिए 'राज्य स्तरीय तकनीकी समिति', 'राज्य स्तरीय शिकायत समिति' एवं 'जिला स्तरीय तकनीकी समिति' का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–

(क) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (State Level Technical Committee) :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
(2) निदेशक, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड – सचिव
(3) प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड – सदस्य
(4) निदेशक, जी.बी. पंत नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट (GBPNIHESD), श्रीनगर गढ़वाल अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
(5) निदेशक, इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (IIRS) देहरादून – सदस्य
(6) निदेशक, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (N.I.H) रुड़की, उत्तराखण्ड – सदस्य
(7) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड – सदस्य
(8) सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड – सदस्य
(9) सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य सदस्य

उक्त समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगे:–

- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति आर्द्रभूमियों के संबंध में संक्षिप्त दस्तावेजों (brief documents) प्रबंधन योजनाओं (Management Plans) और सलाह की समीक्षा करेंगे।
- राज्य स्तर की तकनीकी समिति तत्काल प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमियों में से 5–10 आर्द्रभूमियों का चयन करेंगे।
- राज्य स्तरीय तकनीकी समिति अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

(ख) राज्य स्तरीय शिकायत समिति (State Level Grievance Committee) :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(2) निदेशक, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड – सचिव

(3) सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(4) सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य सचिव

उक्त समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगें:

- जनता द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई और उन्हें सक्षम स्तर को अग्रेसित करेंगे।
- राज्य स्तरीय शिकायत समिति अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगे।

(ग) जिला स्तरीय तकनीकी समिति (District Level Technical Committee):–

(1) जिला अधिकारी – अध्यक्ष

(2) प्रभागीय वनाधिकारी (नोडल) – सदस्य सचिव

(3) मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य

(4) मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य

(5) जिला कृषि अधिकारी – सदस्य

(6) जिला उद्यान अधिकारी – सदस्य

(7) जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी – सदस्य

(8) जिला पर्यटन अधिकारी – सदस्य

(9) जिला मत्स्य अधिकारी – सदस्य

(10) अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) – सदस्य

(11) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग – सदस्य

उक्त समिति के कार्य निम्न प्रकार होंगें:–

1. जिला स्तरीय समितियाँ आर्द्रभूमि के लिए संक्षिप्त दस्तावेजों (Brief Documents) को तैयार करेगी।
2. जिला स्तरीय तकनीकी समिति हर दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
3. जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के सदस्य वेटलैंड प्राधिकरण को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे और आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करेंगे। प्रत्येक जिला अपने स्तर पर आद्रभूमि से संबंधित कार्य करेंगे।

2– उक्त समितियाँ नियमों के तहत निर्धारित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेंगी।

3– सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्षो की अवधि का होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–757 (2) / X–3–19–15(14)2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समिति के नामित अध्यक्ष / सदस्य / सचिव।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।